न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 35/2025 दायर दिनांकः 22.04.2025

उनवान

1. संतु बाई आयु 59 वर्ष पुत्री छीतरलाल पत्नी मदनगोपाल जाति मौणा निवासी हरनावदा तहसील अटरु हाल मुकाम बराना तहसील बारां (राज.)

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—

प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर

अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 16.07.2025

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल ननावता तहसील अटरु जिला बारां (राज.) में हरनावदा पटवार हल्का ढोटी तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 134 का खसरा नं. 117 का रकबा 0.02 है0, ख.नं. 176 का रकबा 0.17 है0, ख.नं. 222 का रकबा 2.00 है0, ख.नं. 494 का रकबा 2.13 है0, ख.न. 503/668 का रकबा 0.05 है0, ख.नं. 505 का रकबा 0.73 है0 कुल किता 6 का रकबा 5.10 हैक्टर आराजी हिस्सा 1/5 प्रार्थिया के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074—2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम संतु बाई के स्थान पर मंजू दर्ज हो गया है जो कि गलत दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थिया का सही नाम संतु बाई है जो कि उसके आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक डायरी आदि दस्तावेजो में भी संतु बाई नाम ही दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत मूंडला बिसौती द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी प्रार्थिया का सही नाम संतु बाई होना प्रमाणित किया है। प्रार्थिया के पहचान सम्बंधित दस्तावेज व ग्राम पंचायत मूंडला बिसौती द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में

वर्णित आराजी में राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को प्रार्थिया दुरुस्त करवा कर अपना नाम मंजू के स्थान पर संतु बाई दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मैं मंजू कर देने से प्रार्थिया को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थिया का नाम भिन्न भिन्न होने से प्रार्थिया कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रही है। प्रार्थिया ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी। प्रार्थना पत्र पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में हो रही त्रुटि को प्रार्थिया दुरुस्त करवा कर अपना नाम मंजू के स्थान पर संतु बाई राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने की अधिकारिणी है, बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम/माल हरनावदा पटवार हल्का ढोटी तह. अटरू जिला बारां में होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र के सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। यह कि अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी ग्राम/माल हरनावदा की आराजी खाता संख्या 134 की कुल किता 6 का रकबा 5.10 हैक्टर में प्रार्थिया का नाम मंजू के स्थान पर संतु बाई दर्ज करने या विकल्प में मंजू उर्फ संतु बाई दर्ज के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/2374 दिनांक 30.06.2025 से रिपोर्ट पेश की गई तथा अभिभाषक प्रार्थिया की बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल हरनावदा सम्वत 2074–77 खाता संख्या 134, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पास बुक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सरपंच ग्राम पंचायत मूण्डला बिसौती प्रमाण पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिया के नाम ग्राम व माल हरनावदा की आराजी खाता संख्या 134 कुल किता 6 का रकबा 5.10 है0 में मंजू पुत्री छीतर का हिस्सा 1/5 दर्ज है। यह जमीन प्रार्थिया को पैतृक सम्पति से मिली है। मंजू बाई का सही नाम ग्रामवासियों के बताये अनुसार संतु बाई ही है तथा सरपंच ग्राम पंचायत मूण्डलाबिसोती प्रमाण पत्र दिनांक 22.05.2025 के अनुसार मंजू बाई का सही नाम संतु बाई ही है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल हरनावदा पटवार हल्का ढोटी तहसील अटरू की खाता संख्या 134 के ख0नं0 117 का रकबा 0.02 है0, ख.नं. 176 का रकबा 0.17 है0, ख.नं. 222 का रकबा 2.00 है0, ख.नं. 494 का रकबा 2.13 है0, ख.न. 503/668 का रकबा 0.05 है0 व ख.नं. 505 का रकबा 0.73 है0 कुल किता 6 का रकबा 5.10 हैक्टर आराजी में सहखातेदार मंजू पुत्री छीतर के स्थान पर मंजू उर्फ संतु बाई पुत्री छीतर किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल० आर० एक्ट स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल हरनावदा पटवार हल्का ढोटी तहसील अटरू की खाता संख्या 134 के ख0नं0 117 का रकबा 0.02 है0, ख.नं. 176 का रकबा 0.17 है0, ख.नं. 222 का रकबा 2.00 है0, ख.नं. 494 का रकबा 2.13 है0, ख.न. 503/668 का रकबा 0.05 है0 व ख.नं. 505 का रकबा 0.73 है0 कुल किता 6 का रकबा 5.10 हैक्टर आराजी में सहखातेदार मंजू पुत्री छीतर के स्थान पर मंजू उर्फ संतु बाई पुत्री छीतर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा अटरू को भी भिजवायी जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां